न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–902 / 2026

विष्णु कुमार उर्फ छोटु बनाम् बिहार सरकार

हाजीपुर नगर थाना कांड संख्या–1396 / 2025

अधीन धारा–126(2), 115(2), 109, 352, 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता।

View Copy not Official

05.05.2026 हाजीपुर नगर थाना कांड संख्या–1396 / 2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा–126(2), 115(2), 109, 352, 351(2), 3(5) में गिरफ्तारी की आशंका के कारण आवेदक **विष्णु कुमार उर्फ छोटु उम्र–20 वर्ष पेसर–बब्लु साह उर्फ डबलु** साकिन–हथसारगंज वार्ड नं0–1, थाना–हाजीपुर नगर, जिला–वैशाली के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता **श्री महेश कुमार पंडित** एवं बिहार सरकार के तरफ से **श्री श्यामबाबु राय** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदक के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि, दिनांक–28.11.2025 को समय लगभग 03.11 बजे दिन में सूचक हथसारगंज में किशन जी के किरान दुकान पर घर के लिए सामान लेने गया था तभी अविनाश तिवारी और तीन–चार अज्ञात लोग दुकान पर आये और सूचक से गाली–गलौज करते हुए एवं सूचक को खिंचते हुए कुमार इन्टरप्राईजेज के पीछे केलवानी में ले गये और सभी लोग सूचक को बेल्ट एवं अन्य भारी सामान से मारपीट करने लगे। मारने के बाद अविनाश तिवारी पिस्तौल के बट से सूचक के सर पर मार दिया और सूचक को लहू–लुहान छोड़कर यह कहते हुए चले गये कि पुलिस में गया तो तीनों भाई सहित परिवार को गोली मारकर खत्म कर देंगे। उनके जाने के बाद सूचक अपने भाई को बुलाया और सदर अस्पताल जाकर अपना ईलाज करवाया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदक निर्दोष है तथा उसे मिथ्या रूप से इस मामला में गांव के राजनीति, जमीनी विवाद एवं पूर्व दुश्मनी के कारण फंसाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक के विरूद्व भारतीय न्याय संहिता की धारा–109 का आरोप नहीं बनता है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक का नाम सह अभियुक्त देव कुमार के संस्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि इस मामले के सह अभियुक्त अविनाश तिवारी उर्फ अविनाश कुमार को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन सं0–3458 / 2025 में पारित आदेश दिनांक–09.02.2026 से अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। निवेदित है, आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हैं।

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–902/2026

विष्णु कुमार उर्फ छोटु बनाम् बिहार सरकार

लगातार

05.05.2026

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, मूल अभिलेख, कांड दैनिकी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं है बल्कि उसका नाम वादी के पुनः बयान एवं कांड दैनिकी की कंडिका 07, 08 एवं 09 में अंकित बयान में आया है। आवेदक पर अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर सूचक के साथ गाली–गलौज कर उसे बेल्ट एवं अन्य भारी सामान से मारपीट करने, पिस्तौल के बट से सूचक के सर पर मारने एवं गोली मारकर खत्म कर देने की धमकी देने का आरोप है जिसका समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 07, 08 एवं 09 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 31 में जख्मी विकास कुमार का जख्म प्रतिवेदन अंकित है जिसमें चिकित्सक द्वारा उसके जख्म को साधारण प्रकृति का कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित जख्म पाया गया है। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस मामले के सह अभियुक्त अविनाश तिवारी उर्फ अविनाश कुमार जो प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है, को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन सं0–3458/2025 में पारित आदेश दिनांक–09.02.2026 से अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की जा चुकी है और आवेदक का मामला जमानत प्राप्त अभियुक्त के मामले से अच्छे धरातल पर है। जमानत आवेदन की कंडिका 03 से विदित होता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध सामाग्रियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों को देखते हुए प्रस्तुत मामले में आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः इस आदेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर आवेदक द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में उपरोक्त नामित आवेदक को 10,000/–(दस हजार रूपए) तथा उतनी ही समान राशि के दो प्रतिभूओं सहित धारा–482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शर्तों के अधीन बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत मामले में अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web copy not Official